



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



19 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 33 राँची, बुधवार

11 अक्टूबर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 303-322
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेशों के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

प्रक-

...

...

प्रक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

4 अगस्त, 2023

संख्या-10/विविध-1013/2008(खण्ड संचिका)-3598--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन के निमित्त किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015 अधिसूचित किया गया ।

3. आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची में पूर्ण विवरण के अभाव में गढ़वा जिला के 65 संपुष्ट आंदोलनकारियों को अधिसूचित नहीं किया जा सका। गढ़वा जिला के जिन आंदोलनकारियों को अधिसूचित नहीं किया जा सका था, उनमें से गढ़वा जिला के 08 एवं पलामू जिला के 05 आंदोलनकारियों के संबंध में झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-172, दिनांक-05.04.2023 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है। आयोग के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्न तालिका के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों की सूची पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

क्र०	आवेदनकर्ता की विवरणी	केस सं./वाद सं. आदि का नाम	झारखण्ड आंदोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आंदोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितीकरण का आधार	संकल्प सं.-1938 दिनांक-20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:-आशोक कुमार सिंह पिता:-स्व. निर्मल सिंह ग्राम:-दुल्ही पोस्ट:-दुल्ही थाना:-पाटन प्रखण्ड:-पाटन जिला:-पलामू लिंग:-पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला-गढ़वा क्रमांक-109 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक-12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, पाटन पलामू का पत्रांक-959, दिनांक-30.11.2018)	कण्डिका-2 (ix)
2	आवेदक का नाम:-सत्येन्द्र यादव पिता:-हनुमान यादव ग्राम:-टुईयां पोस्ट:-नावा जयपुर थाना:-पाटन प्रखण्ड:-पाटन जिला:-पलामू लिंग:-पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला-गढ़वा क्रमांक-110 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक-12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, पाटन पलामू का पत्रांक-959, दिनांक-30.11.2018)	कण्डिका-2 (ix)
3	आवेदक का नाम:-धर्मदेव सिंह पिता:-बालकेश सिंह ग्राम:-रबदी पोस्ट:-दुल्ही थाना:-पंडवा प्रखण्ड:-पाटन जिला:-पलामू लिंग:-पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला-गढ़वा क्रमांक-112 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक-12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, पाटन पलामू का पत्रांक-959, दिनांक-30.11.2018)	कण्डिका-2 (ix)

4	आवेदक का नाम:- पानपती देवी (आश्रित पत्नी) पति:-स्व. रविन्द्र कुमार सिंह (आंदोलनकारी) ग्राम:-सिक्की कला पोस्ट:- सिक्की कला थाना:-पाटन प्रखण्ड:-पाटन जिला:-पलामू लिंग:-महिला	प्रथम संपुष्ट सूची जिला-गढ़वा क्रमांक-113 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक-12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, पाटन पलामू का पत्रांक-959, दिनांक-30.11.2018)	कण्डिका-2 (ix) (आश्रित पत्नी)
5	आवेदक का नाम:- नरेश उराँव उर्फ राम नरेश उराँव पिता:-बालेश्वर उराँव ग्राम:-पोखरिया पोस्ट:-नावा जयपुर थाना:-पाटन प्रखण्ड:-पाटन जिला:-पलामू लिंग:-पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला-गढ़वा क्रमांक-114 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक-12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, पाटन पलामू का पत्रांक-959, दिनांक-30.11.2018)	कण्डिका-2 (ix)
6	आवेदक का नाम:- रमेश दास पिता:-स्व. रामनाथ दास ग्राम:-विशुनपुरा पोस्ट:- कोचेया थाना:- विशुनपुरा प्रखण्ड:- विशुनपुरा जिला:-गढ़वा लिंग:-पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला-गढ़वा क्रमांक-130 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक-12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा का पत्रांक-10, दिनांक-09.01.2019)	कण्डिका-2 (ix)
7	आवेदक का नाम:- महेन्द्र मेहता पिता:-रामसुन्दर महतो ग्राम:-पतागड़ा कला पोस्ट:- कोचेया थाना:- विशुनपुरा प्रखण्ड:- विशुनपुरा जिला:-गढ़वा लिंग:-पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला-गढ़वा क्रमांक-131 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक-12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा का पत्रांक-10, दिनांक-09.01.2019)	कण्डिका-2 (ix)

8	आवेदक का नाम:- मखन पासवान पिता:- मंगरू पासवान ग्राम:- विशुनपुरा पोस्ट:- कोचेया थाना:- विशुनपुरा प्रखण्ड:- विशुनपुरा जिला:- गढ़वा लिंग:- पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला- गढ़वा क्रमांक- 132 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक- 12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा का पत्रांक-10, दिनांक-09.01.2019)	कण्डिका-2 (ix)
9	आवेदक का नाम:- ललन सोनी पिता:- स्व. हरिहर प्र. सोनी ग्राम:- विशुनपुरा पोस्ट:- कोचेया थाना:- विशुनपुरा प्रखण्ड:- विशुनपुरा जिला:- गढ़वा लिंग:- पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला- गढ़वा क्रमांक- 133 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक- 12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा का पत्रांक-10, दिनांक-09.01.2019)	कण्डिका-2 (ix)
10	आवेदक का नाम:- शिव प्रसाद गुप्ता पिता:- राम किशुन साह ग्राम:- विशुनपुरा पोस्ट:- कोचेया थाना:- विशुनपुरा प्रखण्ड:- विशुनपुरा जिला:- गढ़वा लिंग:- पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला- गढ़वा क्रमांक- 134 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक- 12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा का पत्रांक-10, दिनांक-09.01.2019)	कण्डिका-2 (ix)
11	आवेदक का नाम:- अनरूथ सोनी पिता:- स्व. रामकेश सोनी ग्राम:- संध्या पोस्ट:- कोचेया थाना:- विशुनपुरा प्रखण्ड:- विशुनपुरा जिला:- गढ़वा लिंग:- पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला- गढ़वा क्रमांक- 135 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक- 12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा का पत्रांक-10, दिनांक-09.01.2019)	कण्डिका-2 (ix)

12	आवेदक का नाम:- मसो. सुखमनि (आश्रित पत्नी) पिता:- स्व. शिव महतो (आंदोलनकारी) ग्राम:- विशुनपुरा पोस्ट:- दवनकारा थाना:- विशुनपुरा प्रखण्ड:- विशुनपुरा जिला:- गढ़वा लिंग:- पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला- गढ़वा क्रमांक- 136 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक- 12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा का पत्रांक-10, दिनांक-09.01.2019)	कण्डिका-2 (ix) (आश्रित पत्नी)
13	आवेदक का नाम:- रामप्रसाद गुप्ता पिता:- गिरिधारी साह ग्राम:- विशुनपुरा पोस्ट:- कोचेया थाना:- विशुनपुरा प्रखण्ड:- विशुनपुरा जिला:- गढ़वा लिंग:- पुरुष	प्रथम संपुष्ट सूची जिला- गढ़वा क्रमांक- 137 रेल पी०पी० गढ़वा सनहा 155 दिनांक- 12.09.1996	नहीं	दिनांक-12.09.1996 को रेल चक्का जाम करने का आरोप। (अंचलाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा का पत्रांक-10, दिनांक-09.01.2019)	कण्डिका-2 (ix)

4. उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित की पहचान करते हुए विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान (प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र) प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

5. चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित को अनुमान्य सम्मान दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

फुलेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2023

संख्या-11/बंदी विविध-05/2021-4305--झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्वद की दिनांक- 24.08.2023 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न काराओं में संसीमित निम्नांकित 27 (सत्ताईस) बंदियों को कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	बंदी का विवरण	कारा का नाम	सत्रवाद सं., धारा एवं न्यायालय का नाम
1	यदुवंशी गोप उर्फ जादो पे0-हरे लाल गोप उम्र-54 वर्ष पता-ग्राम-जादूडीह, काली चन्दा, थाना-ईचागढ़ जिला-सरायकेला- खरसावाँ।	केन्द्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर।	सत्रवाद संख्या-69/07, जी०आर०-51/07, ईचागढ़ थाना काण्ड सं०-04/07, धारा- 302 भा०द०वि० माननीय न्यायालय, श्री के० के० श्रीवास्तव, सत्र न्यायाधीश, सरायकेला- खरसावाँ। सजा की विवरणी Undergo Imprisonment for Life U/s 302 IPC and also fine of Rs. 5000/- (Five thousand) and in default of payment of fine he will have further to undergo S.I. for six months.
2	बुधु मुण्डा पे०-स्व० जादू मुण्डा उम्र-57 वर्ष पता:-ग्राम- मुदुगोड़ा टोला- मानेडीह थाना-कुचाई, जिला- सरायकेला-खरसावाँ।	केन्द्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर।	सत्रवाद संख्या-21/07 जी०आर०-772/06, कुचाई थाना काण्ड सं०-29/06, धारा-302 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री किशोर कुमार श्रीवास्तव, सत्र न्यायाधीश, सरायकेला- खरसावाँ। Life Imprisonment Fine-2000/- I/D-S.I. for three months.

3	विश्वज्योति बसु उम्र-59 वर्ष लगभग, पे.-स्व. उमा दास बसु, स्थायी पता-गोपाल बेड़ा, थाना-खण्डगोश, जिला-वर्द्धमान/वर्तमान पता- ग्राम-हिन्दु मिशन रोड, थाना- हीरापुर, जिला- धनबाद।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-40/03, सरायदेला थाना कांड संख्या-595/02, धारा- 302 IPC माननीय न्यायालय, अपरसत्र न्यायाधीश -VI धनबाद। Life Imprisonment, Fine-5.000/-, I/D- 03 Year
4	देवन्ती देवी उम्र-57 वर्ष लगभग, पति-कौलेश्वर राणा, ग्राम-बेलहर, थाना-ईटखोरी, जिला-चतरा।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या -118/07, ईटखोरी थाना कांड संख्या-09/07, जी.आर.- 54/07, धारा- 302 / 34 IPC माननीय न्यायालय, अपरसत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-III चतरा। Life Imprisonment
5	तुलसी यादव उम्र-60 वर्ष लगभग, पे.-स्व. अनुप यादव, ग्राम- चन्द्रपुर, थाना-जयनगर, जिला- कोडरमा।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-462/03, जयनगर थाना कांड संख्या-45/02, धारा-324, 307, 302 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कोडरमा। Life Imprisonment, Fine- 25.000/-, I/D- 01 Year, 06 Month
6	बुधन गंझू उम्र लगभग 72 वर्ष पे0 पुरन गंझू, ग्राम-देवरिया, थाना- सदर, जिला- चतरा।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-52/98, सदर थाना कांड संख्या-104/97, जी.आर.-379/97, धारा- 302/149 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-1, चतरा। R.I. for Life, Fine- 05,000/-
7	किशुन साव उर्फ किशुन राय, उम्र लगभग 52 वर्ष पे.-एतवारी राय, ग्राम-गादी श्री रामपुर, थाना-गिरिडीह (मु0), जिला- गिरिडीह।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-502/07, गिरिडीह (मु) थानाकाण्ड संख्या-233/07, धारा-302/34 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-2, गिरिडीह। R.I. for Life, Fine- 15,000/- Fine Paid

8	राजन बाऊरी उम्र लगभग-50 वर्ष पे.-मगन बाऊरी उर्फ परेश बाऊरी, ग्राम-खैर कियारी, थाना-चिरकुण्डा (पंचेत), जिला-धनबाद।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-220/09, चिरकुण्डा (पंचेत) थाना कांड संख्या-138/08, जी.आर.-2956/08, धारा- 302 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-III, धनबाद। Life Imprisonment, Fine- 5.000/-, I/D- 06 Month
9	अवध विश्वकर्मा उर्फ चेंगा, उम्र लगभग 37 वर्ष पे.-पंचानन विश्वकर्मा, ग्राम-अपर बाज़ार, थाना-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-53/08, गोविन्दपुर थाना कांड संख्या-74/07, जी. आर.- 915/07, धारा- 302 IPC माननीय न्यायालय, सत्र न्यायाधीश धनबाद। Life Imprisonment Fine- 10,000/- I/D- 06 month
10	मुंशी यादव, उम्र-48, पिता-फौदी यादव, ग्राम-गम्हर वाद, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-08/09, जयनगर थाना कांड संख्या- 41/04, धारा-302 IPC माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कोडरमा। Life Imprisonment, Fine- 25000/-
11	जेनो तांती उर्फ रोजे तांती उर्फ मंगला पिता-स्व० लखीराम तांती उम्र लगभग-38 वर्ष ग्राम-जगदासाईं, थाना-टोकलो, जिला-पश्चिमी सिंहभूम।	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	सत्रवाद संख्या-27/06, जी.आर.-177/05, चक्रधरपुर (टोकलो) थाना काण्ड संख्या- 86/05, धारा-302/34 IPC माननीय न्यायालय, श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-V, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। Life Imprisonment Fine Rs.-2,000/- I/D-03 Months.

12	डोबा हेम्ब्रोम उर्फ हु रा पिता-जबरा हेम्ब्रोम उम्र लगभग-53 वर्ष ग्राम-जगदासाई, थाना-टोकलो, जिला-पश्चिमी सिंहभूम।	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	सत्रवाद संख्या-27/06, जी.आर.-177/05, चक्रधरपुर (टोकलो) थाना काण्ड संख्या- 86/05, धारा-302/34 IPC माननीय न्यायालय, श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-V, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। Life Imprisonment Fine Rs.-2,000/- I/D-03 Months.
13	रूपचन्द उराँव पिता-सुकरा उराँव उम्र लगभग-55 वर्ष ग्राम-भीठा, थाना-भण्डरा, जिला-लोहरदगा।	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	सत्रवाद संख्या-222/95, जी.आर.- 3242/94, चान्हो थाना काण्ड संख्या-63/94, धारा-302/149, 148/379 IPC , माननीय न्यायालय, श्री नलिन कुमार, अपर न्यायायुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट-VI राँची। सजा की अवधि- Fine Rs.-10,000/- I/D-09 Months
14	फिरू कच्छुवा (उम्र लगभग-67 वर्ष) पिता-स्व० सन्नी कच्छुवा ग्राम-बेलगढ़, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा।	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	सत्रवाद संख्या-144/07, जी.आर.- 290/07, सिमडेगा थाना काण्ड संख्या- 120/07, धारा- 302 IPC & 3 of Witch Craft Prevention Act] माननीय न्यायालय, श्री एस०सी० सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा। Life Imprisonment
15	कुनाल जेना उर्फ कुन्ना उम्र-57 वर्ष लगभग, पता:- ग्राम-न्यू टाटा लाईन, देवन बगान, थाना-गोलमुरी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	केन्द्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर	सत्रवाद संख्या-158/98, 107/03 आर०सी०-17(S)/ 94 (R), धारा-302, 120 (B) भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। माननीय न्यायालय, श्री मो० नोमन अली, अपर सत्र न्यायायुक्त-VII-सह विशेष न्यायाधीश,

			सी० बी० आई०, राँची। R.I. for life fine 5000/- He is also sentenced to undergo R.I. for three years and to pay a fine. of Rs.1000/- U/s-27 Arms Act. In default of payment of fine S.I. for three months and 15 days respectively under both the Sections, the sentences shall run concurrently.
16	मनोज कालिन्दी उर्फ कन्हैया कालिन्दी पे०-विजय कालिन्दी उर्फ यादव कालिन्दी उम्र-41 वर्ष लगभग, पता:-ग्राम- विजय बासा, थाना-तिरिंग, जिला-मयूरभंज (उड़िसा)	केन्द्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर	सत्रवाद संख्या-287/07, जी०आर०-340/07, झींकपानी थाना काण्ड संख्या-30/07, धारा-302 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट माननीय न्यायालय, श्री अमिताभ कुमार , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा। Undergo R.I. for life Imprisonment and Fine Rs-25000/- (Twenty Five Thousand) U/s-302 IPC & to Undergo R.I. for Three years and Fine of Rs-5000/-(Five Thousand) U/s 27 Arms Act. Both Sentences shall run concurrently
17	सुरेन्द्र हाँसदा पे०-बादुला हाँसदा उम्र-49 वर्ष लगभग, पता:-ग्राम-बड़ा झींकपानी, थाना-टोन्टो, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	केन्द्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर	सत्रवाद संख्या-155/05, जी०आर०-151/05, टोन्टो थाना काण्ड संख्या-01/05, धारा-302 भा०द०वि० माननीय न्यायालय, श्री कुमार कमल, अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित निष्पादन कोर्ट-I, चाईबासा। Undergo R.I. for life the offence Punishable, U/s-302 IPC

18	मो० सदाब उर्फ ननका पे०-गुलाम मोहम्मद मुस्तफा उम्र-33 वर्ष लगभग, पता:-ग्राम-गौस नगर, थाना-चाण्डिल, जिला-सरायकेला खरसावा	केन्द्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर	सत्रवाद संख्या-291/06, जी०आर०-1057/06, मानगो उलीडीह थाना काण्ड संख्या-177/06, धारा-302/34 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री लाक्ष्मी कान्त शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश-1, जमशेदपुर। Undergo R.I. for life and to pay a fine of Rs.10,000/- each in default Payment of fine to further undergo R.I. for one year U/s-302/34 IPC
19	नरेश जेराई पे०-सागर जेराई उम्र-41 वर्ष लगभग, पता:-ग्राम कुकुरु सुद, टोला-कुरसो साई, थाना-मंझगांव जिला-पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	केन्द्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर	सत्रवाद संख्या-163/07, जी०आर०-145/07, मंझगांव थाना काण्ड संख्या-10/07, धारा-302, 34, 201, 494 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री अमिताभ कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा। Undergo R.I. for life and fine Rs 15000/- (Fifteen thousand) each u/s 302/34 IPC and to undergo R.I. for three years and fine Rs 1000/- (One thousand) each u/s 201 IPC. He is further sentence to undergo R.I. for five years and fine Rs-5000/- (Five thousand) u/s 494 IPC. All the sentence shall run concurrently.
20	प्रकाश साव उम्र-57 वर्ष लगभग, पे.-मुंशी साव, ग्राम-बड़गाँव, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-13/03, माण्डू (वे.बो.) थाना कांड संख्या-302/02, जी.आर.-2022/02, धारा-302,307/34, 326/34, 449/34 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-9, हजारीबाग। Life Imprisonment, Fine- 5,000/- Fine Paid

21	विनोद शर्मा उम्र-48 वर्ष लगभग, पे. बाबुलाल शर्मा, ग्राम- मनकडीहा, थाना-जमुआ, जिला- गिरिडीह।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-185/07, जमुआ थाना कांड संख्या-258/06, जी.आर.-2513/06, धारा-302 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-2, गिरिडीह। Life Imprisonment
22	लिटुआ उर्फ लिटु यादव उम्र-38 वर्ष, पे.-लेखो महतो, ग्राम-सिमराबेड़ा, थाना- सरिया, जिला-गिरिडीह।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-434/04, बगोदर थाना कांड संख्या-111/04, धारा-148, 450, 302/149 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-2, गिरिडीह। Life Imprisonment
23	विकाश शर्मा उर्फ गुल्ला उम्र-42 वर्ष लगभग, पे.-राजदेव शर्मा, ग्राम-संडेबाज़ार, 19/B,Q-Type, थाना-गाँधी नगर, जिला-बोकारो।	लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	सत्रवाद संख्या-184/05, बेरमो थाना कांड संख्या-30/05, जी.आर.-185/05, धारा- 302/34, 307/34 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-1, बेरमो स्थित तेनुघाट Life Imprisonment
24	प्रबल किण्डो, पे.-स्व० सुरेन किण्डो, उम्र-35 वर्ष लगभग। ग्राम-कामतारा, डीपाटोली, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा।	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	सत्रवाद संख्या-94/2006, जी.आर.- 194/2006, सिमडेगा थाना काण्ड संख्या- 71/2006, धारा-302 भा.द.वि.। माननीय न्यायालय, श्री आशुतोष दूबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सिमडेगा। Life Imprisonment Fine Rs-20,000/- I/D-04 Months
25	अघनु मुण्डा, पे०-स्व० बंशी मुण्डा, उम्र-61 वर्ष लगभग। ग्राम-सदमा कठल टोला, थाना- ओरमांझी,	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	सत्रवाद संख्या-07/2007, जी०आर०- 2263/ 2006, ओरमांझी थाना काण्ड संख्या-70/2006, धारा-302/34 भा.द.वि.। माननीय न्यायालय,

	जिला-राँची		श्री आलोक कुमार दूबे, अपर न्यायायुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट-VIII राँची। आजीवन कारावास।
26	मनोज मांझी, पे०-बंधन मांझी, उम्र-40 वर्ष लगभग। ग्राम-पण्डरीपानी टांगरटोली, थाना-टी० टांगर, जिला-सिमडेगा	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	सत्रवाद संख्या-101/07, जी.आर.- 110/07, टी० टांगर, थाना काण्ड संख्या- 14/07, धारा-302/34, 307/34, 201/34, 449, 450 एवं 364 भा.द.वि. माननीय न्यायालय, श्री आशुतोष दुबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सिमडेगा। Life Imprisonment Fine Rs-10,000/- I/D-03 Months
27	दया निधि दास पे०-वैद्यनाथ दास उम्र-39 वर्ष लगभग, पता-ग्राम-मटकु, थाना- पोटकाजिला-पूर्वी सिंहभूम	केन्द्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर	सत्रवाद संख्या-138/10, 223/10, जी०आर०-3021/09, पोटका थाना काण्ड संख्या-77/09, धारा-304(B),498(A) भा०द०वि० एवं 4 D.P. एक्ट माननीय न्यायालय, श्री रंजीत कुमार चौधरी, अपर सत्र न्यायाधीश-I, जमशेदपुर। Life Imprisonment fine of Rs-10,000/- I/d- S.I. for six months

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथ पत्र भरना अनिवार्य होगा (प्रति संलग्न) ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2023

संख्या-11/बंदी विविध-05/2021-4306--झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पषद की दिनांक- 24.08.2023 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न काराओं में संसीमित निम्नांकित 14 (चौदह) सजावार बंदियों को सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कारा से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	बंदी का विवरण	अस्वीकृति का कारण
1	सोनू उर्फ रंजीत सिंह उर्फ राजू पे०-बलवीर सिंह ग्राम-बेरका, थाना-बेरका जिला- अमृतसर (पंजाब) उम्र-41 वर्ष लगभग मंडल कारा, चास (बोकारो)	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P, Probation Officer as well as the concerned learned court. The report of S.P, probation officer and concerne lanrned court being negative. The convict committed heinous offence of killing his maternal uncle and aunty for some money. Thus it is crime agianst society. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon decided to reject the premature release of the convict
2	भुनेश्वर यादव उर्फ जगेश्वर यादव उम्र-49 वर्ष लगभग, पे०-स्व. डेगन यादव, ग्राम- बरारीनम्बर-01, थाना- जोड़ापोखर, जिला-धनबाद। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P Probation Officer as well as the concerned learned court. The report of S.P, probation officer and concerned learned court being negative. The convict committed heinous crime of killing his neighbour Chandan in land dispute. Thus it is crime agianst society. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon decided to reject the premature release of the convict.
3	दिनेश दास उम्र-56 वर्ष लगभग, पे०-लम्बु दास, ग्राम-जजलो, थाना-हंटरगंज, जिला-चतरा। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P, Probation Officer as well as the concerned learned court. The report of S.P, probation officer and concerned learned court being negative. The convict committed heinous crime of killing Dilip Passwan in land dispute. Thus it is crime agianst society. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon decided to reject the premature release of the convict.

4	कमलेश कुमार चौबे उम्र 41 वर्ष लगभग पे.-श्री राम चौबे ग्राम-राँची रोड, ईफकोगेट, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P, Probation Officer as well as the concerned learned court. The report of S.P, and concerned learned court being negative. The convict committed heinous crime of killing some one Bhawesh Mishra by kidnapping for ransom of Rs. 5 lakh. Thus it is crime against society. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon decided to reject the premature release of the convict.
5	जलील अंसारी उम्र-48 वर्ष लगभग, पे.-स्व. बुटन अंसारी, ग्राम-मंजुरा, थाना-कसमार, जिला-बोकारो। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, Superintendent of police, Jail Superintendent and the Probation officer being negative. Hence the Board after considering all the facts and report place upon, decided to reject the premature release of the convict
6	रबुल अंसारी उम्र-49 वर्ष लगभग, पे.-शहबाज अंसारी, ग्राम-मंजुरा, थाना-कसमार, जिला-बोकारो। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, Superintendent of police, Jail Superintendent and Probation officer being negative. S.P & P.O reports about his involvement again in crime after release. Hence the Board after considering all the facts and report place upon, decided to reject the premature release of the convict.
7	योगेन्द्र मोदी उम्र- 52 वर्ष, पे.-गोपाल प्रसाद मोदी, ग्राम-केन्डी, खैरा, थाना-खैरा, जिला-जमुई (बिहार)। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. Court has specifically opined that the offence u/s-364(A)/34 of the IPC is the offence against society and the society must feel deterrence. Hence the Board after considering all the facts and report placed upon. Decided to reject the premature release of the convict.
8	सुभाष बाऊरी उम्र-45 वर्ष लगभग, पे.-स्व. उमेश बाऊरी, ग्राम-नारायणपुर, टोला आमटौड़, थाना-पिण्ड्रा जोरा, जिला-बोकारो। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, Jail Superintendent and Probation officer being negative. Hence the Board after considering all the facts and report place upon, decided to reject the premature release of the convict.

9	जयस कुमार उम्र-40 वर्ष, पे.-शम्भुनाथ सिंह, ग्राम- कुन्दर, थाना-चानन, जिला- लखीसराय (बिहार)। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, Probation officer as well as the concerned learned court. The report of S.P Giridih being negative. Convict committed heinous crime of kidnapping of Birendra Kumar Roy for ransom of money. Hence the Board after considering all the facts and report placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
10	छोटु अंसारी उम्र-45 वर्ष लगभग, पे.-मनीरुद्दीन अंसारी, ग्राम- मंजुरा, थाना-कसमार, जिला- बोकारो। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, Probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, Superintendent of police, Jail Superintendent and the Probation officer being negative. Hence the Board after considering all the facts and report placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
11	परसु सिंह, पे.-साधु सिंह उम्र-42 वर्ष लगभग सा.-पिण्डराही, थाना-छतरपुर, जिला पलामू, केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, Probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, S.P and Probation officer being negative. Convict has murdered a woman for blaming of witchcraft, which is very heinous in nature. Hence the Board after considering all the facts and report placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
12	मनोगा गंझू पे0 मोहन गंझू सा0 गुन्दरा, थाना कुन्दा, जिला चतरा, उम्र-50 वर्ष लगभग केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, Probation Officer as well as the concerned learned court. The convict committed offence against state as he murdered the ASI of Panhaura Station in a very gruesome manner being engaged in Naxal activities. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
13	नवीन टेटे पे0-मानुएल टेटे, ग्राम-देवबहार केराटोली, थाना- टी० टांगर, जिला-सिमडेगा। उम्र-41 वर्ष लगभग बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, Probation Officer as well as the concerned learned court. The report of Court, Superintendent of police Jail Superintendent and the Probation officer being negative. RINPAS Ranchi has reported patient was not operative of his mental status examination and psychological assessment. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.

14	राजेन्द्र बेदिया उम्र लगभग 49 वर्ष पे.-आषाराम बेदिया, ग्राम-लपंगा, थाना-भुरकुण्डा (पतरात), जिला-रामगढ़। लो.ज.ना. केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P, Probation Officer as well as the concerned learned court. The report of the court, S.P and Probation officer being negative. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
----	---	---

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-188/2014-23321(HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री नारायण राम, कोटि क्रमांक-422/20 (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला-गिरिडीह) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	NARAYAN RAM- (JHK/JAS/224)	DC OFFICE LOHARDAGA	<u>D C OFFICE</u> <u>LOHARDAGA</u> <u>.LOHARDAGA</u> Executive Magistrate	19/08/2013	16/03/2023

2. श्री नारायण राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोमचांच, कोडरमा को विभागीय संकल्प सं० 3679 (HRMS) दिनांक 12.07.2019 द्वारा सेवा संपुष्टि की अहर्ता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या: PTS/CAC/16

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2023

अधि०सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो०)-10-20/2008श्र०नि०-1670--नियोजन सेवा संवर्ग के श्री निशिकांत मिश्र, सहायक निदेशक (नियोजन), व्यवसायिक एवं कार्यपालक नियोजनालय, राँची के पद (अपुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100/- ग्रेड पे-6600/- पुनरीक्षित लेवल-11) से उप निदेशक, नियोजन (अपुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/- ग्रेड पे-7600/- पुनरीक्षित लेवल-12) के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करते हुए उप निदेशक, नियोजन (मुख्यालय), निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। इनका मुख्यालय राँची रहेगा।

2. श्री मिश्र अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निदेशक (नियोजन) उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, उप निदेशक (नियोजन), संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका, सहायक निदेशक (नियोजन) सेमी यूनिट, मुख्यालय, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची, सहायक निदेशक (नियोजन), व्यवसायिक एवं कार्यपालक नियोजनालय, राँची, सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची, सहायक निदेशक (नियोजन) विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय, राँची, सहायक निदेशक (नियोजन) महिलाओं के लिए विशेष नियोजनालय, राँची, सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग, सहायक निदेशक (नियोजन) अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद, सहायक निदेशक (नियोजन) अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दुमका एवं सहायक निदेशक (नियोजन) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष नियोजनालय, दुमका के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. नवपदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करने के उपरांत वित्तीय लाभ देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,

सरकार के उप सचिव।
